साझी संस्कृति और पारस्परिक सम्मान से जुड़े हैं ब्रिक्स राष्ट्रः शेखावत

ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव में गूंजा विश्व शांति और सांस्कृतिक एकता का संदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः ब्रिक्स संस्कृति मंत्री समूह की तीसरी बैठक के दौरान शुक्रवार को रवीन्द्र भवन में आयोजित ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव में विश्व शांति, सांस्कृतिक संवाद और वैश्विक सद्भाव का संदेश दिया गया।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ब्रिक्स राष्ट्र केवल आर्थिक और राजनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि साझी संस्कृति, शांति, पारस्परिक सम्मान और समावेशी विकास की भावना से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रदेश सदियों से सभ्यताओं, आस्थाओं और कलात्मक परंपराओं का संगम रहा है। उन्होंने भीमबेटका, सांची, खजुराहो और जनजातीय संस्कृति का उल्लेख करते हुए भारतीय जीवन दर्शन के 'वसुधैव कुटुंबकम्' और 'अतिथि देवो भव' के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संगीत और कला मानवता की सार्वभौमिक भाषा हैं, जो विभिन्न देशों को मित्रता और शांति के सूत्र में बांधती हैं। महोत्सव का शुभारंभ 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की मंगलकामना से हुआ। इसके बाद भारतीय शास्त्रीय संगीत की विभिन्न परंपराओं तथा ब्रिक्स देशों की सांगीतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। बेलारूस, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात की सांगीतिक परंपराओं का आकर्षक संगम प्रस्तुत किया गया। मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग की 'अमृतस्य मध्यप्रदेश' नृत्य-नाट्य प्रस्तुति विशेष आकर्षण रही। इसमें प्रदेश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत का प्रभावी मंचन किया गया। एक सौ पच्चीस से अधिक कलाकारों ने विभिन्न शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों की प्रस्तुति दी। मध्यप्रदेश के पारंपरिक वस्त्रों और हस्तशिल्प पर आधारित विशेष प्रस्तुति ने भी दर्शकों की सराहना प्राप्त की। महोत्सव ने सांस्कृतिक कूटनीति, वैश्विक सहयोग और 'विविधता में एकता' के संदेश को प्रभावी रूप से अभिव्यक्त किया।

हर शुक्रवार मैदानी दौरे पर रहेंगे अधिकारी, दो लाख भर्तियों की प्रक्रिया जारी : डॉ. यादव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में सुशासन को और प्रभावी बनाने के लिए अब प्रत्येक शुक्रवार को अधिकारी मैदानी क्षेत्रों में जाकर शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का जायजा लेंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि शुक्रवार को कार्यालयों में नियमित बैठकें नहीं होंगी, बल्कि अधिकारी जनता के बीच रहकर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को छिंदवाड़ा के एफडीडीआई ऑडिटोरियम में आयोजित अधिकारी-कर्मचारी अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीब, किसान, युवा और महिलाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया है और शेष पात्र अधिकारी-कर्मचारियों को सितंबर-अक्टूबर तक पदोन्नति का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े स्तर पर शासकीय भर्तियां जारी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान आगामी 7 जनवरी 2027 तक चलेगा और इसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

हिंदी पत्रकारिता के द्विशताब्दी वर्ष पर महिला पत्रकारों की भूमिका पर विशेष विमर्श

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः हिंदी पत्रकारिता के द्विशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदी लेखिका संघ, मप्र द्वारा 8 अगस्त को प्रातः साढ़े ग्यारह बजे ज्ञान तीर्थ सभागार, पत्रकार कॉलोनी के सामने, लिंक रोड क्रमांक-3 स्थित सभागार में 'दो सदियों की साक्षी : हिंदी पत्रकारिता – महिला पत्रकारों की महती भूमिका' विषय पर विशेष विमर्श आयोजित किया जाएगा। संस्था की अध्यक्ष डॉ. साधना गंगराड़े ने बताया कि हिंदी पत्रकारिता के दो सौ वर्ष पूरे होना भारतीय पत्रकारिता के इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन हिंदी पत्रकारिता के विकास में महिला पत्रकारों के ऐतिहासिक योगदान, संघर्ष, उपलब्धियों तथा समकालीन पत्रकारिता में उनकी सशक्त भूमिका को रेखांकित करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सुश्री अनुराधा शंकर करेंगी। मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर उपस्थित रहेंगे। विमर्श में वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार सुश्री शिफाली पांडे, डॉ. मृदु मिश्रा, डॉ. मंगला अनुजा तथा सुश्री अंजली राय अपने विचार व्यक्त करेंगी। कार्यक्रम का संचालन सुश्री ममता यादव करेंगी।

पांच सौ करोड़ के 'लोटस वैली' प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के कोलार रोड स्थित ग्राम मक्सी में लगभग 18.67 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित 'लोटस वैली' प्लॉटेड हाउसिंग प्रोजेक्ट कथित फर्जी विकास अनुज्ञा, कूटरचित डिजिटल हस्ताक्षर, शासकीय भूमि पर कब्जा और अवैध निर्माण के आरोपों को लेकर विवादों में है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के संयुक्त संचालक नीरज आनंद लिखार की शिकायत पर 23 जुलाई 2026 को थाना हबीबगंज में एफआईआर क्रमांक 0505/2026 दर्ज की गई। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338 एवं 336(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

- मुख्य आरोपी अब भी फरार
- पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

ग्राम मक्सी के विभिन्न सर्वे नंबरों की 7.523 हेक्टेयर (18.67 एकड़) भूमि पर विकसित किए जा रहे 'लोटस वैली' प्रोजेक्ट के लिए कथित रूप से फर्जी विकास अनुज्ञा और ले-आउट तैयार किए गए। विभाग द्वारा अल्पास पोर्टल पर जांच के दौरान संबंधित दस्तावेज कार्यालय से जारी नहीं पाए गए तथा उन पर किए गए डिजिटल हस्ताक्षर भी कथित रूप से कूटरचित पाए गए। जांच के दौरान विभाग ने ईको इंफ्रा, मसरूर खान, खालिद मोहम्मद खान, माज़ शाह, साद शाह, अरहम शाह, अनस शाह, इबाद शाह (स्व. अनवर शाह के पुत्र) तथा रुकसाना अनवर सहित संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के नोटिस जारी किए। वहीं, दस्तावेजों में आर्किटेक्ट के रूप में दर्ज मोहम्मद अफाक ने लिखित जवाब देकर परियोजना से किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार किया। शिकायत के अनुसार भूमि स्वामियों द्वारा भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि मामले में मसरूर (मसूर) खान, खालिद मोहम्मद खान सहित कई सह-आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। हालांकि, मुख्य आरोपी अनस शाह मियां उर्फ अनस शाह बंदूकवाले और साद शाह मियां अब भी गिरफ्तारी से बाहर हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार अनस शाह मियां के विरुद्ध वर्ष 2025 में भी तत्कालीन भोपाल कलेक्टर के निर्देश पर थाना शाहजहांनाबाद में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि इसके बावजूद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासकीय भूमि, विशेषकर खसरा क्रमांक 163, पर अवैध कब्जा और निर्माण जारी रहा। पीड़ित पक्ष ने मुख्य आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, कथित अवैध निर्माण हटाने, फर्जी टीएण्डसीपी एवं रेरा अनुमतियां निरस्त करने, पूरे मामले की ईओडब्ल्यू से जांच तथा कथित 30 करोड़ के नकद लेन-देन की आयकर विभाग से जांच कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश रेरा ने भी पत्र क्रमांक 334/2026 जारी कर भोपाल कलेक्टर को 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के संरक्षण के कारण अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।

एफआईआर में किन-किन पर लगे हैं आरोप?

मध्य प्रदेश ई-कॉप पोर्टल पर दर्ज एफआईआर के अनुसार ईको इंफ्रा मसरूर खान, खालिद मोहम्मद खान, माज़ शाह, साद शाह, अरहम शाह, अनस शाह, इबाद शाह एवं रुकसाना अनवर सहित अन्य आरोपियों पर कथित रूप से फर्जी डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग कर विकास अनुज्ञा एवं ले-आउट मानचित्र तैयार करने, भूमि स्वामियों के साथ धोखाधड़ी करने तथा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर वैधानिक जांच शुरू की है। सभी आरोप फिलहाल जांच के अधीन हैं।

सवा लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण का शुभारंभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सावन मास के पावन अवसर पर वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद एवं नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्य मनोज राठौर के संयोजन में सवा लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक तथा शिव मंदिर में शिखर कलशारोहण के तीन दिवसीय धार्मिक आयोजन का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ।

कार्यक्रम के प्रथम दिन जमालपुरा गांव स्थित शिव मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो टीला जमालपुरा के विभिन्न मार्गों से होते हुए शीतला माता मंदिर शॉपिंग सेंटर स्थित आयोजन स्थल पहुंची। कलश यात्रा में साधु-संत, मातृशक्ति, श्रद्धालु महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक तथा बड़ी संख्या में शिवभक्त शामिल हुए।

कलश यात्रा के उपरांत रुद्री पार्थिव शिवलिंग निर्माण और रुद्राभिषेक का क्रम प्रारंभ हुआ, जो लगातार तीन दिनों तक चलेगा। आयोजन समिति ने तालाबों को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से पार्थिव शिवलिंग विसर्जन के लिए एक अस्थायी विसर्जन कुंड भी बनाया है, जिसमें प्रतिदिन श्रद्धालु पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। आयोजन के अंतिम दिन बाबा महाकाल की भस्म आरती, महाआरती, रुद्राक्ष वितरण, तिरंगा वितरण तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

अवैध शराब तस्करी के आरोपी को एक वर्ष का कारावास

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः अवैध शराब के परिवहन और विक्रय के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल सिंह यादव की अदालत ने आरोपी धीरज विश्वकर्मा को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नीरज भार्गव ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार 11 दिसंबर 2025 को आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग के चारपहिया वाहन से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर विदिशा मार्ग स्थित चौपड़ाकला के पास नाकाबंदी कर वाहन को रोका गया। जांच के दौरान वाहन चालक धीरज विश्वकर्मा को पकड़ा गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। तलाशी में वाहन से ओल्ड मंक, मोमेंट वोडका तथा मैक डबल ड्रम ब्रांड की कुल 103.50 बल्क लीटर शराब बरामद हुई।

आबकारी विभाग ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों और तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

कमला नगर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के आरोपी को किया गिरफ्तार

नप्र, भोपाल : कमला नगर थाना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दोहरी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं वर्ष 2025 से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को भी पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक, कमला नगर थाना क्षेत्र के लाल सिंह ग्राउंड, डी सेक्टर में पुलिस टीम को एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। पुलिस को देखकर युवक भागने का प्रयास करने लगा, जिसे टीम ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान प्रेम थापा (20), निवासी भोपाल के रूप में हुई। धारदार छुरी बरामद,पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके कब्जे से करीब 44 सेंटीमीटर लंबी धारदार लोहे की छुरी बरामद हुई। छुरी रखने के संबंध में आरोपी के पास कोई वैध लाइसेंस या अनुमति नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। 2025 से फरार स्थायी वारंटी भी गिरफ्तार,इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने एक अन्य मामले में लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ जेएमएफसी भोपाल न्यायालय से स्थायी वारंट जारी था और वह 13 अक्टूबर 2025 से फरार चल रहा था। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए की गई कार्रवाई निरीक्षक निरूपा पाण्डे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से की। गिरफ्तार आरोपियों को आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों और फरार आरोपियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है।

अवैध शराब के खिलाफ रातीबड़ पुलिस की कार्रवाई

नप्र, भोपाल : अवैध शराब के कारोबार और परिवहन के खिलाफ रातीबड़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अंकित सैनी (20) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 14 बोतल अंग्रेजी शराब और 289 क्वार्टर देशी शराब बरामद की। शराब की कुल मात्रा 62.520 लीटर बताई गई है। शराब परिवहन में इस्तेमाल रॉयल एनफील्ड बुलेट भी जब्त की गई है। जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब 3 लाख रुपये है। पुलिस के अनुसार 6 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक बुलेट क्रमांक एमपी-04-[illegible]-0432 से शराब लेकर आ रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ा। पूछताछ में उसकी पहचान अंकित सैनी, निवासी सूरज नगर, रातीबड़ के रूप में हुई। पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली, जहां किचन प्लेटफार्म पर भी अंग्रेजी शराब रखी मिली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ रातीबड़ थाने में पूर्व में भी दो मामले दर्ज हैं।

बैरिकेडिंग के विरोध में बाजार बंद, सड़क पर उतरे व्यापारी

चौक और लखेरापुरा बाजार बंद, मार्ग अवरुद्ध होने से कारोबार प्रभावित होने का दावा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के मोती मस्जिद के सामने लंबे समय से लगे बैरिकेड हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को व्यापारियों ने दुकानें बंद कर सड़क पर धरना दिया। विरोध के चलते चौक बाजार, लखेरापुरा तथा आसपास के कई बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित रहीं।

व्यापारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि बैरिकेड लगे होने से ग्राहकों और वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है, जिससे कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि बैरिकेड शीघ्र हटाए जाएं। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले भी इस संबंध में पुलिस और प्रशासन को रैली निकालकर अवगत कराया गया था।

व्यापारियों का कहना है कि बैरिकेडिंग के कारण भोज सेतु की ओर से आने वाले वाहनों को लंबा चक्कर लगाकर बाजार पहुंचना पड़ता है, जिससे आम नागरिकों और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

वहीं, पुलिस का कहना है कि इस मार्ग पर वाहन गलत दिशा से प्रवेश कर रहे थे, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। इसी कारण यातायात व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड लगाए गए हैं।

स्वदेशी | *राष्ट्रीय हथकरघा दिवस...*

हथकरघा दिवस पर खण्डेलवाल ने खरीदे खादी वस्त्र और तिरंगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जवाहर चौक स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज और खादी के वस्त्र खरीदे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए खादी को स्वदेशी, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। खण्डेलवाल ने कहा कि 7 अगस्त स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक तिथि है और इसी विरासत के सम्मान में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में लाखों बुनकर हथकरघा उद्योग से जुड़े हैं और यह कृषि के बाद रोजगार का प्रमुख आधार है।

शिल्प महोत्सव का शुभारंभ

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मप्र तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय विशेष कार्यक्रम 'धागा एक पहचान : थ्रेड्स ऑफ आइडेंटिटी' का शुक्रवार को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान परिसर में शुभारंभ हुआ। आयोजन का समन्वयन संग्रहालय की सहायक संरक्षक डॉ. सुदीपा रॉय कर रही हैं। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए 25 से अधिक शिल्पकार और हस्तशिल्प विशेषज्ञ भारत की समृद्ध हथकरघा, वस्त्र एवं लोक शिल्प परंपराओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। मुख्य अतिथि संभागायुक्त कर्णवीर शर्मा रहे। संग्रहालय के निदेशक प्रो. अमिताभ पांडे तथा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्यप्रदेश की निदेशक प्रो. विध्या राकेश सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने कालीन प्रदर्शनी और शिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में शिल्पकारों द्वारा जीवंत प्रदर्शन, सहभागितापूर्ण कार्यशालाएं, शिल्प संवाद तथा जनजातीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गईं। विभिन्न राज्यों के शिल्पकारों ने कलमकारी, चिकनकारी, कालीन बुनाई, ब्लॉक छपाई, मधुबनी कला, लिप्पन कला, फुलकारी, चंदेरी, पैठणी सहित अनेक पारंपरिक शिल्पों का प्रदर्शन किया। आयोजन में पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहे।

आम सूचना

श्री हरप्रीत सिंह पुत्र स्व. श्री अजीत सिंह सलूजा निवासी फ्लेट नं. 13, लाला लाजपात राय कालोनी, अशोक गार्डन, सुरजीत बजाज के पीछे, रायसेन रोड, भोपाल के निर्देशानुसार निम्न प्रकार सूचित किया जाता है- मेरे पक्षकार के भाई राजेन्द्र सिंह पिता अजीत सिंह सलूजा निवासी-फ्लेट नं. 13, लाला लाजपात राय कालोनी, का पिछले लगभग 20 वर्षो से कोई अता-पता नहीं है। इसकी सूचना मेरे पक्षकार द्वारा जेलर इन्दौर जेल, पुलिस इन्दौर को यथा समय की थी, पर कोई जानकारी आज तक नहीं मिली है। किसी को पता हो तो इस सूचना से 15 दिवस में जानकारी मेरे पक्षकार के पते पर दे दें। उचित इनाम व पारिश्रमिक दिया जावेगा। वाद गुजरने म्याद मेरा पक्षकार उनकी भूमि स्थित ग्राम छोला, पटवारी हल्का नं. करोंद कलां, भोपाल क्र. 5/1/2/1/1 एस यूनिक आई.डी. नं. 1006018255 /8190के.एफ.डी. एस.सी.टी.एच. 6 एच.ओ. -में अंश भाग 1/3 विधिक वारिस भाई होने के कारण अपने नाम नामांतरित करा लेगा। वाद गुज़रने म्याद कोई आपत्ति समाहित नहीं की जावेगी।

रमाशंकर चौधरी, एडवोकेट
68. न्यू एम.एल.ए. कालोनी, जवाहर चौक, भोपाल मो. 9425027694, वास्ते-श्री हरप्रीत सिंह पुत्र स्व. अजीत सिंह सलूजा,

1230

न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-3, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण 0171/अ-27/2025-2026
मौका-बकानिया प.ह.न. 59
तहसील हुजूर भोपाल

इश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मनीष कुमार निगम आत्मज श्री अमर निगम निवासी 40-41 लक्ष्मीपुरी इन्द्र प्रस्थ हिनोतीया काच्छियान भोपाल म.प्र. द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बकानिया प.ह.न. 59 स्थित भूमि खसरा क्रमांक 473/1 कुल रकबा 2. 8941 हे. व अन्य भूमि आवेदक एवं अन्य हितबद्ध भू- धारकों के मध्य बंटवारा हेतु निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु पेशी दिनांक 18/08/26 नियत है। उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 31/07/26 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल

1229

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रति, मेसर्स राय होम्स यूनिवर्सल प्रा.लि. द्वारा एच.आर.राय आ. आर.के. राय निवासी 6 ईडन गार्डन पटेल कालोनी चूनाभटटी भोपाल...**आवेदक**, **विरूद्ध** श्री पर्वत सिंह आ. स्व. जगराम, श्री भगवान सिंह, श्री राधेश्याम, सुशीलाबाई, मीनाबाई पुत्र /पुत्री स्व. हरीसिंह निवासी ग्राम इमलिया कोलार भोपाल...**अनावेदक**। **एतद् द्वारा** सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा ग्राम बोरदा स्थित खसरा नंबर 197, 196/1 रकवा 6.34 एकड भूमि का माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, इंदौर पीठ (एनसीएलटी) द्वारा प्रकरण क्रं. टीपी 171/2019 आदेश दिनांक 18/09/2025 को पारित आदेश के अनुपालन में राजस्व अभिलेखो में डेवलपर / विकासकर्ता के रूप में नामांतरण. प्रविष्टि दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया है। के आदेश के पालन में अतएवं आप समस्त पक्षकार आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 12/08/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से अपने स्वत्व संबंधी दस्तावेज एवं आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समयावधि पश्चात आपत्ति या अन्य आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 07/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार
तहसील-कोलार जिला भोपाल

1228